प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 07.03.2025

- **महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही।**
- **थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत एक किशोरी का शव मिलने की घटना का खुलासा करते हुए 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**
- **थाना मंगलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 103/2025 धारा 103(1)/238/137(2)/70(2)/315 बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)V एससी एसटी एक्ट में प्रकाश में आया था अभियुक्त।**

कृपया सादर अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मंगलपुर क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव अनन्तपुर धौकल से परजनी जाने वाली सड़क के किनारे से करीब 150 कदम अंदर जंगल में दिनांक 21.02.2025 को मिला था। पुलिस द्वारा उक्त महिला के शव का नियमानुसार पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया तथा अज्ञात महिला की शिनाख्त हेतु सभी सम्भव प्रयास किये गये किन्तु शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित तथ्य जोकि उक्त महिला के साथ संज्ञेय अपराध होने की पुष्टि कर रहे थे। उक्त के आधार पर थाना मंगलपुर पर दिनांक 03.03.2025 को वादी उ0नि0 श्री डोरीलाल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात की तहरीर पर मु0अ0सं0 103/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया। थाना मंगलपुर पुलिस तथा मीडिया सेल जनपद कानपुर देहात के प्रयासों के फलस्वरूप उक्त अज्ञात महिला की शिनाख्त हो गयी तथा मृतका के परिजनों ने थाना मंगलपुर पर आकर मृतका के कपडों व चप्पलों के आधार पर मृतका की पहचान कर ली। उक्त के क्रम में पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक, भौतिक व अभिलेखीय साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त प्रान्शू पाल उर्फ सिन्टू पुत्र श्याम सिंह पाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम करौंदा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात का नाम प्रकाश में आया जिसको थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.03.2025 को अभियुक्त के घर के बाहर ग्राम करौंदा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त से पूछताछ के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अन्य सहअभियुक्त अनुज कुमार पुत्र विजय सिंह पाल निवासी ग्राम करौंदा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात की भी संलिप्तता पायी गयी । पुलिस टीम का गठन कर जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2)/70(2)/315 बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त प्रान्शू पाल ने पूछताछ पर जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे करीब एक माह पहले फेसबुक के माध्यम से किशोरी का मो0नं0 मिला था जिससे मैं उससे बात करने लगा। बात करते करते मेरी उससे गहरी जान पहचान हो गयी। मैं अपने दोस्त अनुज पाल पुत्र विजय पाल निवासी ग्राम करौंदा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के साथ अनुज की मोटरसाइकिल से शाम के समय उससे मिलने के लिये उसके पते पर निकला था। वहीं किशोरी हमको मिल गयी थी फिर हम लोग उसको साथ में लेकर वही पास के खेतों में चले गये जहाँ पर मैंने व अनुज पाल ने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। उक्त किशोरी द्वारा अनुज के साथ सम्बन्ध

बनाने का विरोध किया गया व इस बात की शिकायत करने की बात कही गयी। गुस्से में किशोरी ने मेरे गाल पर थप्पड मार दिया तथा कहा कि मैं इसकी शिकायत करूँगी जिससे मैंने आवेश में आकर उसके साथ मारपीट की एवं अपने हाथों से उसका गला कसकर दबा दिया, गला दबाते समय अनुज ने उसके हाथ पकड रखे थे। गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गयी। मृतका के पास उसका फोन था जिसको मैंने ले लिया तथा अपने साथ लेकर हम लोग उसके शव को वही छोडकर अपने अपने घर ग्राम करौंदा चले आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रान्शू पाल उर्फ सिन्टू पुत्र श्याम सिंह पाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम करौंदा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/2025 धारा 103(1)/238/137(2)/70(2)/315 बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री संजय कुमार गुप्ता
2. उ0नि0 श्री डोरीलाल
3. का0 858 प्रमेन्द्र सिंह निर्वाण
4. का0 961 दीपक खारी